



जिला परिषद का कार्यालय, गिरिडीह।

Email ID- (zp.giridih123@gmail.com)


इच्छा की अभिव्यक्ति (Expression of Intrest)

डॉ० श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूर्वन मिशन गिरिडीह जिलान्तर्गत भण्डारीडीह कलस्टर में इच्छुक व्यक्ति/फर्म ऐजेन्सी अपना इच्छार्थी अभिव्यक्ति दस्तावेज खरीदकर उसे निम्न प्रकार जमा करेंगे।

1. विज्ञापनदाता का नाम :- जिला अभियंता, जिला परिषद, गिरिडीह।
2. दस्तावेज प्राप्ति की तिथि एवं समय :- 03.10.2020 से 10.10.2020 को 5:00 बजे अपराह्न तक।
3. दस्तावेज भर कर जमा करने की अंतिम तिथि, समय एवं स्थान :- दिनांक 12.10.2020 से 13.10.2020 को 3:00 बजे अपराह्न जिला अभियंता, कार्यालय गिरिडीह
4. दस्तावेज खोलने की तिथि एवं समय दिनांक 13.10.2020 को 3:30 PM अपराह्न (पहले तकनीकी लिफाफा खोला जायेगा)
5. कार्य की विवरणी :-

क्र०सं०	सामग्री का विवरण	दस्तावेज का मूल्य (बैंक ड्राफ्ट रूप में)	अनुमानित Unit/संख्या	सुरक्षित जमा राशि (एफ०डी० के रूप में)
1	Polyhouse	1250.00	4 अद्द	19,100.00
2	Solar Cold Room	10000.00	5 अद्द	1,92,000.00
3	Providing stool, examination bed and curtain partition in PHC & Aaganwari Center	1250.00	35 अद्द	12,600.00
4	Model School में आवश्यक सामग्री	10000.00	22 अद्द	1,90,600.00
5	Model Anganwadi में आवश्यक सामग्री	5000.00	22 अद्द	66,000.00

नोट:- शर्तें जिला परिषद, गिरिडीह के सूचना पट्ट अथवा गिरिडीह जिला के वेबसाइट www.giridihnic.in पर देखी जा सकती है।


जिला अभियंता,
जिला परिषद, गिरिडीह।

—:आवश्यक शर्तों :-

1. वित्तीय एवं तकनीकी दस्तावेज दो अलग-अलग सीलबंद लिफाफे में भर कर दोनों लिफाफे को एक बड़े सीलबंद लिफाफे में देना अनिवार्य होगा। इच्छार्थी अभिव्यक्ति तकनीकी लिफाफा में अपनी तकनीकी क्षमता/योग्यता से संबंधित सभी आवश्यक कागजात एवं सुरक्षित राशि फ0डी0 के रूप में जिला अभियंता जिला परिषद के पदनाम से प्रतिज्ञित संलग्न करना आवश्यक होगा। जिन इच्छार्थी अभिव्यक्ति की तकनीकी कोटेशन सफल होगी, उन्हीं का वित्तीय लिफाफा खोला जायेगा।
2. इच्छार्थी अभिव्यक्ति के द्वारा Technical Bid में निम्न कागजात को संलग्न करना होगा:-
 - i. पैन कार्ड की छाया प्रति।
 - ii. आधार कार्ड की छाया प्रति। फर्म के लिये- मालिक/सभी पार्टनरों का
 - iii. गत तीन वर्षों का आयकर प्रमाण पत्र।
 - iv. GST निबंधन प्रमाण पत्र तथा फरवरी-2020 माह का रिटर्न (GSTR-3B/GSTR-4) की प्रति।
 - v. गत तीन वर्षों का Audit Report.
 - vi. इच्छार्थी अभिव्यक्ति द्वारा कार्य पूर्ण कराये जाने संबंधी प्रमाण पत्र।
 - vii. फर्म/प्रतिष्ठान का काली सूची में दर्ज नहीं होने संबंधी शपथ पत्र।
 - viii. परिमाण-विपत्र का मूल्य बैंक ड्राफ्ट के रूप में स्वीकार किया जायेगा जो लौटाया नहीं जायेगा। मूल्य बैंक ड्राफ्ट सचिव, जिला परिषद, गिरिडीह के पदनाम से देय होगा जो राष्ट्रीयकृत बैंक द्वारा निर्गत एवं गिरिडीह शाखा में भुगतये होगा।
 - ix. उपरोक्त अंकित योजनावार सुरक्षित जमा राशि का बैंक ड्राफ्ट/बैंक गारंटी/सावधि जमा जो जिला अभियंता, जिला परिषद, गिरिडीह के पदनाम से प्रतिज्ञापित होगा।
 - x. दस्तावेज में माँगे गये/Sample/अन्य कागजात फोटोग्राफ/प्रेजेंटेशन देना होगा।
3. इच्छार्थी अभिव्यक्ति को किसी भी प्रकार का अग्रिम देय नहीं होगा।
4. सामग्री की आपूर्ति एवं अधिष्ठापन कार्यादेश के 30 दिनों के अन्दर चिन्हित स्थानों पर करना होगा। निर्धारित समय तक कार्य नहीं करने पर सुरक्षित राशि जब्त करते हुए कार्य दूसरे न्यूनतम दर के इच्छार्थी अभिव्यक्ति के नाम आवंटित कर दिया जायेगा और उन्हें डिबार करने हेतु काली सूची के लिये अनुशंसा किया जायेगा।
5. सामग्री की संख्या घट-बढ़ सकती है।
6. झारखण्ड राज्य के इच्छार्थी अभिव्यक्ति को प्राथमिकता दी जायेगी, उपलब्ध नहीं रहने पर अन्य राज्य के इच्छार्थी अभिव्यक्ति से सामग्री की आपूर्ति एवं अधिष्ठापन किया जायेगा।
7. कोई विवाद होने पर गिरिडीह न्यायालय में ही वाद का निपटारा किया जायेगा।
8. सशर्त, अस्पष्ट, अपठनीय एवं भ्रामक निविदा अमान्य कर दी जायेगी।
9. इच्छार्थी अभिव्यक्ति के द्वारा जमा की गई सुरक्षित राशि को क्रमशः प्रतिवर्ष 2% राशि लौटायी जाएगी।
10. आपूर्ति की गई सामग्री को ससमय ठीक करने की जवाबदेही आपूर्तिकर्ता की होगी। जिला ग्रामीण विकास अभिकरण/संबंधित मुखिया से इस संबंध में सूचना देने पर एक सप्ताह के अन्दर इसे ठीक कराना अनिवार्य होगा।
11. सामग्रियों का दर सभी कर सहित होगा।
12. क्रमांक 1, 3, 4, 5 की सुरक्षित राशि तक एक वर्ष पश्चात/दो किस्तों में लौटायी जायेगी। यह राशि छः माह पश्चात 50% तथा एक वर्ष के बाद शेष 50% राशि दी जायेगी।


13. क्रमांक 1, 3, 4, 5 में आपूर्ति की गयी सामग्री की छः माह तक बदलने की गारण्टी देनी होगी।
14. आपूर्ति करने के पश्चात विपन्न से अतिरिक्त 5% सुरक्षित जमा राशि काटी जायेगी।
15. क्रमांक 2 का रखरखाव 3 वर्षों तक करना होगा।
16. सामग्री की दुलाई गंतव्य तक आपूर्तिकर्ता को करनी होगी।
17. Agreement के समय कुल एकरारनामा की राशि का 5% अग्रधन जमा रहना सुनिश्चित करना होगा (सुरक्षित जमा राशि सहित)
18. पूर्व में किये गये Cold Roor (सोलर/बिजली/जेनरेटर) कार्यों के अनुभव वाले संवेदक फर्म/संस्था को वरीयता दी जायेगी।
19. क्रमांक 2 में काटी गयी राशि प्रथम वर्ष 2%, द्वितीय वर्ष 3%, तृतीय वर्ष 5%, लौटयी जायेगी।


जिला अभियंता,
जिला परिषद, गिरिडीह।

ज्ञापांक.....736...../जि0प0, गिरिडीह दिनांक.....२५.१.०२०

प्रतिलिपि:- डी0आई0ओ0, एन0आई0सी0, गिरिडीह को सूचनार्थ प्रेषित। उपरोक्त सूचना गिरिडीह जिला के वेबसाईट www.giridihnic.in में Upload करना सुनिश्चित करें।

प्रतिलिपि:- उप विकास आयुक्त, गिरिडीह/जिला जनसम्पर्क पदाधिकारी, गिरिडीह को सूचनार्थ प्रेषित।


जिला अभियंता,
जिला परिषद, गिरिडीह।